जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 14 प्रभात उदयपुर, शनिवार 16 नवम्बर, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पंजाब व हरियाणा के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरु हुई चण्डीगढ़ पर

इस बार ''जंग'' का कारण है दस एकड़ जमीन का प्लॉट, जो चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास है, जहां हरियाणा अपनी नई विधानसभा बनाना चाहता है

- श्री नन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। पंजाब और हरियाणा एक बार फिर चंडीगढ़ की लड़ाई में उलझ गये हैं। पंजाब के नेताओं ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चंडीगढ़ के साथ जमीन के आदान-प्रदान के लिये केन्द्र की कथित पर्यावरणीय स्वीकृति का जबरस्त विरोध किया है। यह स्वीकृति चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आई.टी. पार्क रोड की तरफ नये विधान सभा भवन के निर्माण के लिये की गई है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह से लेकर नीचे तक के भाजपा नेता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि विधनसभा भवन के लिये इस पर्यावरणीय स्वीकृति से उच्च न्यायालय भवन के निर्माण के लिये अतिरिक्त जमीन के इच्छित अधिग्रहण का रास्ता साफ हो जायेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार को कोशिशों का विरोध स्वयं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी किया है। उन्होंने इस निर्णय को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने की माँग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही से ''पंजाबियों की भावनाएं आहत'' होंगी तथा पंजाब के लिये की गई प्रधानमंत्री की सभी पहल धूमिल हो जायेंगी। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल ज्ञान चन्द गुप्ता, जिन्होंने इस दिशा में पहल की है, ने शुक्रवार को जोर देते हुये कहा कि पर्यावरण एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने हरियाणा के पंचकूला में 12 एकड़ के एक भूखंड को पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति दे दी है। 12 एकड़ के एक भूखंड के बदले में चंडीगढ़ के साथ इस जमीन की अदला-बदली की जायेगी।

पंजाब का तर्क है कि नया विधान सभा भवन पंचकूला में भी बन सकता है, जो चंडीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है। सत्तारूढ़ आप का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल गुलाबचन्द कटारिया के मिला था तथा जोर देते हुए उनसे कहा गया था कि ''हरियाणा के विधानसभा भवन के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हरियाणा की प्रस्तावित विधानसभा की बिल्डिंग को केन्द्रीय सरकार के वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय ने ''क्लियरैंस'' (अनुमति) दे दी है।
- इस दस एकड़ प्लॉट को पाने के लिये हरियाणा सरकार ने पंचकुला में 12 एकड़ का प्लॉट, एक्सचेंज (बदले) में देना स्वीकार किया है।
- पंजाब के सभी नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इस बात पर संगठित व एकजुट हैं कि हरियाणा पंजाब के बीच इस तरह जमीन की अदला बदली है, गैर कानूनी है, क्योंकि यह तो चण्डीगढ़, पंजाब व हरियाणा की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास है।
- हरियाणा के नेता अति प्रसन्न हैं, जमीन की अदला बदली के प्रस्ताव को केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने से रास्ता खुल जायेगा और वे इसके बाद हरियाणा की हाईकोर्ट बिल्डिंग के लिये जमीन एक्सचेंज का प्रस्ताव भेज सकेंगे।
- अटपटी स्थिति पंजाब के राज्यपाल गुलाब कटारिया की है, क्योंकि वे पंजाब के राज्यपाल होने के साथ चण्डीगढ़ के प्रशासक भी हैं, तथा जमीन एक्सचेंज की कार्यवाही उनके ऑर्डर से ही होती है।

'अमरनाथ बस दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जाए'

जयपुर, 15 नवंबर। एम.ए.सी.टी. मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस के अमरनाथ जाते समय 16 जुलाई, 2017 को दो सौ फीट गहरी खाई में गिरने के मामले में चार मृतकों के आश्रितों और तीन घायलों को ब्याज सहित कुल करीब 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने यह आदेश मृतकों की आश्रित सीकर निवासी अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ के पवन कुमार सैनी सहित घायल हुए शिशुपाल, गोकुल और दिनेश सैनी की कुल सात क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। घटना में कुल 16 यात्रियों की मौत होने के साथ ही 47 यात्री घायल हुए थे।

क्लेम याचिकाओं में अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 को यात्री जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान, बस चालक की गलफत एवं लापरवाही, तथा तेज गति के कारण, बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। दुर्घटना में चालक सहित 16 लोगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मोटर वाहन दुर्घटना मामलों की अदालत ने 16 जुलाई 2017 को अमरनाथ जाते समय हुए बस हादसे में चार मृतकों के आश्रितों व तीन घायलों को 1.48 करोड़ रु. के मुआवज़े के भुगतान का आदेश दिया है।

'राहुल गाँधी का हैलिकॉप्टर दो घंटे रोका गया, उड़ने नहीं दिया'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। झारखंड के महागामा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''झारखंड में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत से कम करके 14 प्रतिशत कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं- ''मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ'', दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कम कर देते है, आपकी जमीन छीन लेते हैं और नोटबंदी के द्वारा आपको बेरोजगार कर देते हैं।''

उन्होंने कहा, ''इसीलिए हमने तय किया है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति आरक्षण 28 प्रतिशत होगा, हम अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण पैदा करेंगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हम 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेंगे।''

राहुल गाँधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी नरेन्द्र मोदी से डरती नहीं है। उन्होंने मुंबई की धारावी बस्ती बिज़नैसमैन गौतम अडानी को सौंपने देने का आरोप भी लगाया।

राहुल ने कहा, ''हम 56 इंच छाती और मन की बात वाले नरेन्द्र मोदी से नहीं डरते। अरबपति जो भी कहते हैं, नरेन्द्र मोदी वही करते हैं। मोदी जी ने गरीबों का पैसा छीनकर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है। महाराष्ट्र में धारावी की जमीन की कीमत एक लाख करोड़ रुपए है, उसे भी अडानी को सौंपा जा रहा है। सच यह है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार को, जमीन पर कब्जा करने के लिए गिराया गया था।''

उन्होंने, भाजपा तथा आर.एस.एस. सरकारों पर, संविधान को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। राहुल गाँधी ने कहा, ''भाजपा और आर.एस.एस. संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान में लोगों की आत्मा है, और वो लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप संविधान का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप देश में अन्याय और नफरत फैलाते हैं, आर.एस.एस. और भाजपा लगातार यह करते रहे हैं। अगर आपको संविधान को भंग करना है तो आगे आइये, आप देखेंगे कि जनता आपसे डरती नहीं है।''

इस दौरान कांग्रेस नेता का हैलिकॉप्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरैंस नहीं मिलने के कारण झारखंड के गोड्डा शहर से दो घंटे तक उड़ान नहीं भर पाया। राहुल गाँधी के बचाव में, विधायक तथा महागामा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ''सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री देवधर में हैं, राहुल गाँधी को उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। हम समझते हैं कि प्रोटोकॉल है, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर राज किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई-- यह स्वीकार्य नहीं है।'' कांग्रेस ने भाजपा पर, जानबूझकर रुकावट डालने का आरोप लगाया, यह संकेत देते हुए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री, समीपवर्ती इलाके देवघर में थे तथा उनकी सुरक्षा का बहाना बताकर, राहुल के हैलिकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी। कांग्रेस ने भी सत्तर साल केन्द्रीय सरकार चलायी थी, पर प्र.मंत्री की सुरक्षा के नाम पर, ऐसी एक भी घटना किसी भी विपक्षी नेता के साथ नहीं हुई थी।
- राहुल गाँधी ने इस विलम्ब के बाद आयोजित आमसभा को सम्बोधित करते हुए कहा, कि, भाजपा ने झारखंड में ''बैकवर्ड- वर्ग'' का आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। जबकि, प्र.मंत्री हर बार दावा करते हैं, कि, वे ''बैकवर्ड वर्ग'' के हैं।
- राहुल गाँधी ने इस लय में आगे कहा, कि, उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि, झारखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) का आरक्षण 28 प्रतिशत किया जायेगा, तथा उनकी पार्टी एस.सी. (अनुसूचित जाति) के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सृजन करेगी, तथा ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत रिज़र्वेशन की व्यवस्था करेगी।
- राहुल गाँधी ने यह भी आरोप लगाया, कि, महाराष्ट्र में उनके गठबंधन की सरकार का भाजपा ने तख़्ता इसीलिये पलटा, क्योंकि, भाजपा धारावी की जमीन, जिसकी कीमत एक लाख करोड़ रुपये आंकी जाती है, उद्योगपति अडानी को देना चाहती है।
- राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि, प्र.मंत्री मोदी जी, अरबपतियों के हाथ की कठपुतली हैं, तथा उन्होंने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ किये हैं।

'मैरिट के आधार पर मैडिकल कॉलेज आवंटित किए जाएं'

जयपुर, 15 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जुड़े मामले में कहा है कि तकनीकी औपचारिकताओं के कारण मेधावी अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि मेरिट में स्थान प्राप्त करने के आधार पर ही सीटों का आवंटन होना चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की मेरिट के आधार पर उन्हें मेडिकल कॉलेज आवंटित किए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड के कारण जो तकनीकी औपचारिकताएं निभाई गई हैं उनकी वजह से याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री ऑफिस की मरम्मत को भाजपा ने फिज़ूल खर्च कहा

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय की मरम्मत पर 2.40 करोड़ रु. खर्च हुए हैं

- लक्ष्मण वैंकट कुची -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया द्वारा अपने ऑफिस की मरम्मत पर 2 करोड़ रु. खर्च किया गया है, जो राज्य में एक विवाद का विषय बन गया है भाजपा इस शानदार रैनोवेशन को फिजूल खर्च बता रही है क्योंकि इस समय राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भाजपा को इस भारी खर्च के लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर भी निशाना साधा जो कि महंगा फर्नीचर लगा कर मुख्यमंत्री कार्यालय की साज सज्जा कर रहे हैं। भाजपा ने कहा यह सब ऐसे समय पर किया जा रहा है जब कर्नाटक सरकार गारंटी पूरी करने का भारी दबाव है। भाजपा ने कहा इतने महंगे मेक ओवर की क्या जरूरत है।

भाजपा ने कहा सिद्धारमैया व उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, गरीबों को दी गई जमीनें उनका परिवार हड़प लेता है। इसके जवाब में कहा कि रैनौवेशन मुख्यमंत्री की किसी सम्पत्ति पर नहीं हो रहा है सरकारी कार्यालय का हो रहा है जो कि भविष्य के मुख्यमंत्रियों के काम भी आएगा। कांग्रेस ने मरम्मत में 2.4 करोड़ रु. खर्च होने पर कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा का कहना है, एक ओर तो मंत्रालयों पर गारंटी पूरी करने का दबाव है और उनके पास विकास के लिए फंड नहीं हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की मरम्मत और आधुनिक साज सज्जा पर जो खर्च हो रहा है वह फिज़ूल खर्ची है।
- कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यालय की मरम्मत हुई है, निजी सम्पत्ति की नहीं, इसका इस्तेमाल आने वाले मुख्यमंत्री भी करेंगे।
- कांग्रेस ने कहा, मुख्यमंत्री कार्यालय 70 साल पुराना है और इसे मरम्मत की सख्त जरुरत थी।

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष ने सी.जे.आई. का सम्मान किया

जयपुर, 15 नवंबर। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने शिरकत कर चीफ जस्टिस का सम्मान किया।

इस मौके पर, सी.जे.आई. खन्ना ने कहा कि उन्होंने बतौर अधिवक्ता न्यायपालिका में वर्ष 1983 में अपनी यात्रा को शुरू किया था। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश न्यायपालिका का महत्वपूर्ण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा भी शामिल हुए।

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू
राष्ट्रदूत

इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर

हमारा समाचारपत्र,
स्वतंत्र निष्पक्ष तथा नैतिक
पत्रकारिता के प्रति अपनी
वचनबद्धता को दोहराता है।

16 नवम्बर

'महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने मेरे हैलिकॉप्टर की भी जांच की'

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहते हुए, चुनाव में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया और कहा कि भाजपा स्वतंत्र चुनाव पर भरोसा करती है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि महाराष्ट्र के हिंगोली कस्बे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलिकॉप्टर की चैकिंग की थी। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनावों में विश्वास करती है। विपक्ष इसे एक ड्रामा बता रहा है।

शाह ने एक्स पर डाली गई एक पोस्ट में कहा ''आज महाराष्ट्र के हिंगोली चुनाव क्षेत्र में मेरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलिकॉप्टर की जाँच की। भाजपा निष्पक्ष चुनावों तथा स्वस्थ चुनाव तन्त्र में विश्वास करती है। तथा माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाये गये सभी नियमों का पालन करती है।'' उन्होंने आगे कहा ''हम सब को स्वस्थ चुनाव तन्त्र में अपना योगदान देना चाहिये तथा भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतन्त्र बनाये रखने के लिये अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये।''

अमित शाह ने यह बात इस समय उजागर की जब शिवसेना (यू.बी.टी.) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनके बैगों की चैकिंग पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस घटना से आम जनता की इस सोच को और बल मिला कि चुनाव आयोग पक्षपात से काम लेता है तथ यह केवल विपक्षी नेताओं के हेलिकॉप्टरों तथा विमानों को ही चैक करता है।

नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी- शरद चन्द्र पवार (एन.सी.पी.एस.पी.) की नेता सुप्रिया सुले ने भी इस घटना की निन्दा की थी तथा इसे ''गन्दी राजनीति'' बताया था। सुप्रिया सुले ने कहा था कि ठाकरे के बैग दो बार चैक किये गये, जबकि सत्तासीन राजनेताओं के बैगों की चैकिंग इस तरह नहीं की गई। बुधवार को ''स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स'' (एस.ओ.पी) के अन्तर्गत पालघर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने एक्स पर लिखी पोस्ट में दावा किया कि तलाशी की कार्यवाही महाराष्ट्र की हिंगोली सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई।
- अमित शाह के इस बयान को, उद्धव ठाकरे के सामान की चुनाव आयोग द्वारा की गई जांच से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया था। विपक्ष शाह के हैलिकॉप्टर की जांच को ड्रामा बता रहा है।
- बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की भी जांच हुई।
- मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग रोकने व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी नेताओं के हैलिकॉप्टर व सामान की जांच की जा रही है।